संख्या:2874..../प्रमुख सचिव/लो.नि.वि.,
पेयजल, कार्मिक एवं पुनर्गठन/
देहरादून, दिनांक:10/8/2011—12

संख्या—1739/बीस—4/2011—26/उ0आ0/2006

AS(Personnel)/Reorganisation/D.W.
DS(PWD)

10/08/2011
(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव, लो.नि.वि.,
पेयजल, कार्मिक एवं पुनर्गठन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

3— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4— समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(1) US(K)
(2) US(DW)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

गृह अनुभाग—4 देहरादून: दिनांक: 05 :अगस्त 2011

विषय— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में

U.S(K)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—1270/तीस—2/2004 दिनांक—11.8.2004, शासनादेश संख्या—776/XX(4)-26/उ0आ0/2006 दिनांक 22.10.2008 एवं शासनादेश संख्या—637/XX(4)-26/उ0आ0/2006—08 दिनांक 13.08.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा 10 अगस्त, 2011 तक के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

10/8/11
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन

2— अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संख्या—777/XX(4)-26/उ0आ0/2006—08 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार चिन्हित सभी राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अग्रिम पॉच वर्षो अर्थात 10 अगस्त, 2016 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेशों में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।